



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के संग्रहण, बिक्री व निर्माण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 23/24.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान कनवारा बाईपास चौराहा से अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामबाबू दुबे पुत्र घसीटा दुबे निवासी पपरेंदा थाना चिल्ला जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 695/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री गौरव प्रताप सिंह
2. कां0 भागचन्द्र
3. कां0 अभिलाष